



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 76 राँची, शुक्रवार,

31 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2024

संख्या-1/पी०-107/2016 का०- 8309--उपायुक्त, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री कर्ण सत्यार्थी, भा.प्र.से. (झा:2016) को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (Level-12, Pay Matrix-78800-209200) में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-III का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री सत्यार्थी प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-107/2016 का०- 8310--उपायुक्त, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्रीमती मेघा भारद्वाज, भा.प्र.से. (झा:2016) को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (Level-12, Pay Matrix -78800-209200) में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-III का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगी ।

2. श्रीमती भारद्वाज प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बनी रहेंगी ।

संख्या-1/पी0-107/2016 का०-8311--संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती गरिमा सिंह, भा.प्र.से. (झा:2016) को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (Level-12, Pay Matrix -78800-209200) में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-III का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगी ।

2. श्रीमती सिंह प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर बनी रहेंगी ।

संख्या-1/पी0-107/2016 का०- 8312--उपायुक्त, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2016) को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (Level-12, Pay Matrix-78800-209200) में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-III का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री कुमार प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी0-107/2016 का०- 8313--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झा:2016) (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, तेजस्विनी परियोजना, झारखण्ड, राँची) को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (Level-12, Pay Matrix- 78800-209200) में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-III का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री मोहन प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड राँची (अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, तेजस्विनी परियोजना, झारखण्ड, राँची) पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-107/2016 का०- 8314--उपायुक्त, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री विशाल सागर, भा.प्र.से. (झा:2016) को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (Level-12, Pay Matrix -78800-209200) में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-III का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री सागर प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-107/2016 का०-8315--उपायुक्त, खूँटी के पद पर पदस्थापित श्री लोकेश मिश्रा, भा.प्र.से. (झा:2016) को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के वेतनमान (Level-12, Pay Matrix -78800-209200) में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में आयोजित होने वाले MCT Phase-III का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे ।

2. श्री मिश्रा प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर प्रोन्नत वेतनमान में बने रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
